संख्याःग्रा०वि०–एफ(4)–2/2024
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित :

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त मंडलाधिकारी उपायुक्त , हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खंड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला –171002 19 अप्रैल, 2025.

विषयः प्रदेश में Below Poverty Line (बी०पी०एल०) परिवारों के चयन हेतु मानदंड बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19 मार्च 2025 के सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0पी0एल0 प्रमाण पत्रों के निर्गमन तथा चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्मिकों की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टीकरण कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था, अतः इस विषय पर निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार वर्ष 2025–26 के लिए बी0पी0एल0 परिवारों के चयन की निर्धारित समय–सीमा को पार कर चुकी है, अतः इस वर्ष विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु बी0पी0एल0 सूची का पुनः निरिक्षण 1 अप्रैल, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 के मध्य किया जाएगा। इस कारणवश, इस अंतर्वर्ती अवधि में बी0पी0एल0 प्रमाण पत्रों के निर्गमन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से छह माह की अवधि हेतु अथवा नवीन बी0पी0एल0 सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, जारी किए जाएंगे।

2. इसके अतिरिक्त, संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपनी संतुष्टि एवं विवेक के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत में कार्यरत किसी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बी0पी0एल0 सूची के सत्यापन हेतु गठित समिति में शामिल कर सकें। चयन प्रक्रिया को निर्धारित समयानुसार ही पूरा किया जायेगा।

3. यह भी पुनः उल्लेखनीय है कि यदि सत्यापन समिति अथवा उससे संबद्ध कोई भी कर्मचारी सत्यापन प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही करता है या असत्य जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध

पृष्ठ 2 पर जारी.....

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, उनके विरुद्ध दोष सिद्ध होने की स्थिति में 15 दिन का नोटिस देकर सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीय,

(राजेश शर्मा), भा०प्र०से०
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त दिनांक शिमला–2 19 अप्रैल, 2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास उनके पत्र संख्या एस.एम.जे–120/2012–13–(बड़.)0आर.डी.डी–IV-8781 दिनांक 10.04.2025 के सन्दर्भ में ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रचार व् प्रसार हेतु।
5. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 09 जनवरी 2025 को मंत्रिमण्डल की बैठक में मद संख्या 40 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में प्रेषित है।
6. संरक्षक नास्ति।

सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****